



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Northern Regional Office, Chandigarh



F.No. -: 9-PBB342/2019-CHA

दिनांक: 10-July-2019

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
पंजाब सरकार, वन विभाग, लघु सचिवालय,
सेक्टर-9, चण्डीगढ़।

विषय: Diversion of 0.4235 ha of forest land in favour of M/s Vikas Mineral Foods (P) Ltd. for construction of service road to Casavillaz Marriage Palace at Village Kakrali, Tehsil Derabassi on Mubarikpur-Ramgarh Road Km 4-5 R/side, under Forest Division and District SAS Nagar, Punjab (Online proposal No. FP/PB/Approach/36861/2017)-regarding.

संदर्भ:- अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन), पंजाब सरकार के पत्र संख्या FCA/1980/05/2019/808 दिनांक 21.06.2019 .

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अनुमति मांगी गई है।

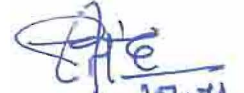
2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु 0.4235 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए नैधातिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

- i. प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाये।
 - ii. प्रयोक्ता एजेंसी PCA स्कीम के अनुसार पैनेल प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाये।
 - iii. प्रयोक्ता एजेंसी से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या F.No. 11-42/2014/FC dated 29.01.2018 के प्रावधान संख्या B (i) के तहत Penalty for violation की राशि भी जमा करवाई जाये।
 - iv. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रजेंट वैल्यू जमा करवाई जाये।
 - v. प्रयोक्ता एजेंसी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाएगी।
 - vi. User agency should ensure that the compensatory levies (CA cost, NPV, etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank only. Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance.
3. अन्तिम स्वीकृति के उपरांत निम्नलिखित शर्तों का पालन भी किया जायेगा।
- i. वन भूमि की विधेक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
 - ii. प्रस्ताव के अनुसार कम से कम वृक्ष काटे जायेंगे और काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 01 से अधिक नहीं होगी।
 - i.i. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।

- iv. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।
- v. जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बड़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी।
- vi. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
- vii. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
- viii. स्थानांतरित वन भूमि की नीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित की जाएंगे।
- ix. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
- x. कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।
- xi. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय - समय पर लगाई जा सकती है।
- xii. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन न जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

4. उपरोक्त पैरा 2-के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2-के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। केंद्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

भवदीय,



(सी०डी० सिंह) 17/04/2019

अपर महानिदेशक (केंद्रीय)

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण परिवर्तन जलवायु एवं वन, मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पंजाब, फॉरेस्ट कॉम्प्लैक्स, सै०-68, एस० ए० एस० नगर, मोहाली, पंजाब।
3. वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल और जिला एस.ए.एस नगर, पंजाब।
4. M/s Vikas Mineral Foods Pvt. Ltd. village Kakrali, Ramgarh-Mubarakpur road, District SAS Nagar, Punjab.